राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1154

27 जुलाई, 2016 को उत्तर के लिए

भारतीय इस्पात उद्योग के पुनरुद्धार हेतु उपाय

1154. **डॉ. आर. लक्ष्मणन:**

क्या **इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि वर्तमान में भारतीय इस्पात उद्योग भारी घाटे का सामना कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने अल्पकालिक उपाय के तौर पर इस प्रवृत्ति को काबू करने के लिए कोई तत्काल कदम उठाए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने इस्पात उद्योग के पुनरुद्धार हेतु कोई दीर्घकालिक उपाय करते हुए उन्हें कार्यान्वित किया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

इस्पात राज्य मंत्री (श्री विष्णु देव साय)

(क) और (ख): जी हॉ। वर्तमान में भारतीय इस्पात उद्योग अत्यधिक मंदी के दौर से गुजर रहा है। विश्व स्तर पर मांग में कमी होने और क्षमता की अत्यधिकता होने के परिणाम स्वरूप इस्पात के प्रमुख उत्पादक देश मूल्य निर्धारण की प्रिडेटरी रणनीति को अपना रहे है और प्राय: अपनी उत्पादन लागत से कम कीमतों पर भारत में अपने उत्पादों की बिक्री कर रहे है। परिणामत: घरेलू उत्पादकों ने अपने लाभ मार्जिन कम करते हुए पर्याप्त रूप में कीमतों को कम किया है।

(ग) और (घ): सरकार ने घरेलू इस्पात उद्योग द्वारा सामना की जा रही समस्याओ के निराकरण के लिए निम्नलिखित उपाय किये है। इनमे निम्न शामिल है :-

(i) 173 इस्पात उत्पादों पर न्यूनतम आयात मूल्य (एमआईपी) की शर्त लगाई गई है ताकि घरेलू उत्पादकों को उनके नुकसान जैसा कि उत्पादकों के मार्जिन में गिरावट से स्पष्ट होता है, के विरूद्ध प्रतिस्पर्धा का समान अवसर प्रदान किया जा सके।

(ii) केन्द्रीय बजट 2015-16 में फ्लैट और नॉन-फ्लैट दोनों इस्पात पर बेसिक सीमा शुल्क की उच्चतम दर 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत की गई है।

(iii) इनगॉट्स और बिलेट्स, अलॉय स्टील (फ्लैट एवं लांग), स्टेनलैस स्टील (लांग) और नान-अलॉय लांग उत्पाद पर आयात शुल्क बढ़ाकर 7.5 प्रतिशत (5 प्रतिशत से) किया गया तथा नान अलॉय और अन्य अलॉय फ्लैट उत्पादों पर यह शुल्क बढ़ाकर 10 प्रतिशत (7.5 प्रतिशत से) किया गया है इसे अगस्त, 2015 में पुन: संशोधित किया गया। वर्तमान में आयात शुल्क फ्लैट स्टील पर 12.5 प्रतिशत, लांग स्टील पर 10 प्रतिशत और सेमी फिनिश्ड स्टील उत्पादों पर 10 प्रतिशत लागू है।

(iv) यह सुनिश्चित करने के लिए कि भारत में केवल गुणवत्ता युक्त इस्पात का उत्पादन या आयात हो, दिसम्बर, 2015 में इस्पात और इस्पात उत्पाद (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2012 संशोधित किया गया है।

(v) स्टेनलैस स्टील के कतिपय किस्मों के हॉट रोल्ड फ्लैट उत्पादों के चीन ($ 309 प्रति टन), कोरिया ($ 180 प्रति टन) और मलेशिया ($ 316 प्रति टन) से आयातों पर 5 वर्षों के लिए एंटी डम्पिंग ड्यूटी लगाई गई है।

(vi) 600 एमएम या इससे अधिक की चौड़ाई वाले क्वायलों में नान अलॉय और अन्य अलॉय स्टील के हॉट रोल्ड फ्लैट उत्पादों पर मार्च, 2016 में 20 प्रतिशत का सुरक्षोपाय शुल्क लगाया गया है।

(ड.) और (च): सरकार इस्पात क्षेत्र के दीर्घकालीन विकास के लिए राष्ट्रीय इस्पात नीति, 2005 से मार्ग निर्देशित होती है। तथापि, वर्तमान मे उद्योग को सुरक्षित रखने के उपाय करने पर जोर दिया जा रहा है। ये उपाय इस प्रश्न के भाग (ग) और (घ) के उत्तर में बताये गये है।

***